कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-97/2016-17/

दिनांक : /05/2017

सेवा में,

जिला पंचायतराज अधिकारी,

टिहरी गढ़वाल

विषय : जिला पंचायतराज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल का वर्ष 6/2014 से 01/2017 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में शून्य प्रस्तर भाग-4 (ब)-2 में 04 प्रस्तर तथा STAN के शून्य प्रस्तर हैं इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग 4 (ब)-1 के सभी प्रस्तरो की परिपालन आख्या सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड़ शासन देहरादून एवं भाग-4 (ब)-2 की सभी प्रस्तरों के प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी **(निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड)** के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन का प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2 प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 97/2016-17/ दिनांक : /05/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, डांडा लाखोंड निकट आई. टी. पार्क सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून

2- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

माह 06/2014 से माह 01/2017 तक के लिए कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री चमन सिंह राठौर — **जिला पंचायत राज अधिकारी**

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री त्रिलोक सिंह नेगी,ले.प.अ.
(ii) श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ.
(iii) श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ.
(iv) श्री राजवेश भट्ट, ले.प.

(स) संप्रेक्षा तिथि 17 फरवरी 2017 से 25 फरवरी 2017 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: माह 06/2014 से माह 01/2017

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम: **जिला पंचायत राज अधिकारी, टिहरी गढ़वाल,**

(अ) उपरोक्त यदि जिला पंचायत राज अधिकारी है तो क्षेत्र पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों की संख्या:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः-

भौगोलिक क्षेत्र : - -

जनसंख्या : -

2. निर्वाचित सदस्यों की संख्या: -

3. (अ) पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः -

4. (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठकों की संख्या:-

5. कर्मचारियों की संख्या: 121

6. पंचायतराज की सम्पतियां: - -

7. पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट: -

8. योजनाओं की संख्या -

9. (अ) सामाजिक संरक्षा: -
   (ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -
   (स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें: -
   z(द) लाभार्थियों की संख्या:

10. वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि -

11. वर्ष के दौरान कुल व्यय:

    (अ) सामान्यः- भाग-3 के अनुसार

    (ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12. क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया-

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी, जनपद- टिहरी गढ़वाल,** के लेखा/अभिलेखों की माह 06/2014 से 01/2017 तक की सम्प्रेक्षा श्री त्रिलोक सिंह नेगी,ले.प.अ, श्री एल.एस.लिंगवाल, स.ले.प.अ., श्री नित्यानन्द सिंह, स.ले.प.अ. तथा राजवेश भट्ट, ले.प. द्वारा दिनांक 17.02.2017 से 25.02.2017 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर:-

	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-I**	**प्रस्तर भाग-4 (ब)-II**	**स्टेन**
1	13/2011-12	01	04	
2	42/2014-15	-	04	
		प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग प्रस्तरों की संख्या**	

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर-

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची- -

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख - -

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-1 (अ)- 14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा किये गये कार्यों के रु. 2811.05 लाख के उपयोगिता प्रमाण पत्र अप्राप्त/अनुपलब्ध होना।

14 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अनुक्रम में वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में इकाई के ग्राम पंचायतों को रु. 2811.05 लाख उपलब्ध कराये गये थे। अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि शासनादेश की शर्तों के विपरीत इकाई द्वारा ग्राम पंचायतों को 14 वें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों हेतु निर्धारित 10 दिनों के अंदर धनराशि प्रेषित नही की गई थी। वर्ष 2015-16 की प्रथम किश्त 37 दिन विलम्ब से तथा द्धितीय किश्त 14 दिन विलम्ब से तथा 2016-17 की प्रथम किश्त 88 से 94 दिन विलम्ब से प्रेषित किये गये थे। इकाई के पास विकास खण्डों से उपरोक्त धनराशि व्यय होने के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने अपेक्षित थे जो कि नही पाये गये थे।

इंगित करने पर इकाई द्वारा बताया गया कि वित्त विभाग उत्तराखण्ड देहरादून से शासनादेश के साथ ग्राम पंचायत वाट फांट, आई.डी. प्राप्त न होना तथा मुख्य विकास अधिकारी, जिलाधिकारी के हस्ताक्षर होने तथा कोषागार में विलम्ब होने के कारण धनराशि प्रेषित करने में विलम्ब हुआ। विकास खण्डो को धनराशि स्थानांतरित करने के उपरान्त शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाता है तत्पश्चात खण्डों से प्राप्त किये जाते हैं। कार्य योजना पर कार्य पूर्ण होने के पश्चात उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजे जाते हैं। इकाई द्वारा यह भी सूचित किया गया कि वर्ष 2015-16 के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है लेकिन माह अगस्त 2016 में कार्यालय के अभिलेख टिहरी स्थानांतरित होने के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वर्ष 2016-17 के 20% उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हुए है शेष शीघ्र प्राप्त हो जायेगें।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा विकास खण्डों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने सम्बंधी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये। अतः रु. 2811.05 लाख के उपयोगित प्रमाण पत्र अप्राप्त होने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-1 (ब)-इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (क्षेत्र पंचायत अंश) से संबन्धित रु. 927.71 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का शासन को प्रेषित न किया जाना।

जिला पंचायतराज अधिकारी टिहरी, जनपद-टिहरी गढ़वाल को तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान जनपद टिहरी के अंतर्गत 09 क्षेत्र पंचायतों हेतु रु. 9,27,71,000/- की धनराशि निम्नानुसार प्राप्त हुई थीः-

क्रं. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**किश्त संख्या**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**संक्रमित धनराशि**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि**
01.	2014-15	प्रथम किश्त	662/XXVII/(1)/2014 dated 21.07.2014	1,55,53,000	--
02.	2014-15	द्धितीय किश्त	1050/VVVII(1)/2014 dated 30.12.2014	1,55,53,000	--
03.	2015-16	प्रथम किश्त	526/XXVII/(1)/2015 dated 29.04.2015	1,54,13,000	30.06.2015
04.	2015-16	द्धितीय किश्त	1248/XXVII/(1)/2015 dated 19.10.2015	1,54,17,000	31.12.2015
05.	2016-17	प्रथम किश्त	772/XXVII/(1)/2016 dated 28.06.2016	1,31,03,000	31.07.2016
06.	2016-17	द्धितीय किश्त	1166/XXVII/(1)/2016 dated 05.10.2016	1,77,32,000	31.03.2017
			कुल	**9,27,71,000**	

उपरोक्त लिखित शासनादेशों के अनुसारः-

(अ) क्षेत्र पंचायतों को अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र ब्लॉक प्रमुख से प्रतिहस्ताक्षर कराकर जिला पंचायतराज अधिकारी द्वारा निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायतिराज उत्तराखण्ड सासन को भेजा जायेगा। प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्य का पूर्ण विवरण(कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि) भी भेजना होगा।

(ब) निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का होगा।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा क्षेत्र पंचायतों हेतु अवंमुक्त धनराशि रु. 9,27,71,000/- से संबन्धित कोई भी उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिथि तक निदेशक पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन तथा सचिव, पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित नहीं किये गए हैं जबकि सभी शासनादेशों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट रुप से बताई गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टु करते हुए अपने उत्तर मे बताया कि खण्ड विकास अधिकारियों को शीघ्र ही अवमुक्त धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्रों को ब्लाँक प्रमुखों से प्रति-हस्ताक्षर कराकर भेजने को कहा गया है। क्षेत्र पंचायतों से शीघ्र ही उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेशानुसार निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का था।

अतः इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (क्षेत्र पंचायत अंश) से संबन्धित रु. 927.71 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों को शासन को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-1 (ब)II-इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (ग्राम पंचायत अंश) से संबन्धित रु. 1922.88 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का शासन को प्रेषित न किया जाना।

जिला पंचायतराज अधिकारी टिहरी, जनपद-टिहरी गढ़वाल को तृतीय/चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान जनपद टिहरी की 09 क्षेत्र पंचायतों के अन्तर्गत 1038 ग्राम पंचायतो हेतु रु. 22,51,36,000/- की धनराशि निम्नानुसार प्राप्त हुई थीः-

क्रं. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**किश्त संख्या**	**शासनादेश संख्या एवं दिनांक**	**संक्रमित धनराशि**	**उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की तिथि**
01.	2014-15	प्रथम किश्त	661/XXVII/(1)/2014 dated 21.07.2014	3,78,12,000/-	--
02.	2014-15	द्धितीय किश्त	193/XXVII(1)/2015 dated 19.02.2015	3,37,50,000/-	--
03.	2015-16	प्रथम किश्त	527/XXVII/(1)/2015 dated 29.04.2015	3,85,46,000/-	30.06.2015
04.	2015-16	द्धितीय किश्त	120/XXVII/(1)/2015 dated 29.01.2016	3,78,02,000/-	31.03.2016
05.	2016-17	प्रथम किश्त	773/XXVII/(1)/2016 dated 28.06.2016	3,28,48,000/-	31.07.2016
06.	2016-17	द्धितीय किश्त	1150/XXVII/(1)/2016 dated 05.10.2016	4,43,78,000/-	31.03.2017
			कुल	**22,51,36,000/-**	

उपरोक्त लिखित शासनादेशों के अनुसारः-

(अ) उपयोगिता प्रमाण पत्र ग्राम पंचायतो के संबंध में निदेशक पंचायती राज द्वारा महालेखाकार उत्तराखण्ड/सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग 1)/सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन को भेजा जायेगा। पूर्व वर्षों के उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ ही वर्तमान में संक्रमित की जा रही धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही अगली किस्त अवमुक्त की जायेगी।

प्रमाण पत्र के साथ कराये गये कार्यों का पूर्ण विवरण (कराये गये कार्य का नाम तथा व्यय की धनराशि सहित) भी भेजना होगा।

(ब) निर्धारित समयावधि तक उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का होगा।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ग्राम पंचायतों हेतु अवंमुक्त धनराशि रु. 22,51,36,000/- से सापेक्ष केवल वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रथम किश्त की धनराशि से संबंधित रु. 3,28,48,000/- के ही उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रेषित किये गये है जबकि बाकी बची हुई अवशेष धनराशि रु. 19,22,88,000/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र आतिथि तक निदेश पंचायतीराज के माध्यम से महालेखाकार, उत्तराखण्ड/सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन (वित्त अनुभाग-I)/सचिव ग्राम्य विकास तथा पंचायतीराज उत्तराखण्ड शासन को नहीं भेजें गए हैं जबकि सभी शासनादेशों में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने की अंतिम तिथि स्पष्ट रुप से बताई गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर मे बताया कि अवशेष धनराशि रु. 19,22,88,000/- के उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र ही ग्राम पंचयतो से प्राप्त कर निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून के माध्यम से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड एवं उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित कर दिया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शासनादेशानुसार निर्धारित समयावधि में उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशक, पंचायतीराज के माध्यम से उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व संबन्धित जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी का था।

अतः इकाई द्वारा राज्य वित्त आयोग (ग्राम पंचायत अंश) से संबन्धित रु. 1922.88/- लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों को शासन को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता हैं।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-1 (स)- ` 195.39 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का क्षेत्र पंचायतों से अप्राप्त रहना व कार्य योजनाओं का न भेजा जाना तथा निदेशालय से संक्रमित धनराशि का संबंधित क्षेत्र पंचायतों को समय से प्रेषित न किया जाना।

जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी को जनपद के समस्त (9) विकास खण्ड़ों को विकास कार्यों हेतु वितरित करने एवं उनसे संक्रमित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के निर्देशों के साथ वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 हेतु निदेशक पंचायती राज उत्तराखण्ड़ द्वारा निम्न विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त की गई थी।

वर्ष	**अवमुक्त धनराशि**					
	अनु.जाति	**जनजाति**	**सामान्य**	**कुल योग**	**निदेशालय से अवमुक्त की तिथि**	**विकास खण्डों की तिथि**
2015-16	17,26,000/-	-	47,87,158/-	65,13,158/-	21.04.2015	23.07.2015
2014-15	17,26,000/-	-	47,87,158/-	65,13,158/-	27.09.2014	31.10.2014
2016-17 प्रथम किश्त	5,75,362/-	-	16,98,322/-	22,73,684/-	26.04.2016	21.07.2016
2016-17 द्वीतीय किश्त	11,50,638/-	-	30,88,836/-	42,39,474/-	05.09.2016	05.09.2016
			कुल	**1,95,39,474/-**		

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हो रहा है कि निदेशालय से धनराशि अवमुक्त होने के पश्चात संबंधित क्षेत्र पंचायतों को धनराशि का संक्रमण काफी विलम्ब से भेजा जाता है, जबकि वर्ष 2016-17 की द्वितीय किश्त सितम्बर 2016 में अवमुक्त (निदेशालय पंचायती राज का कार्यालय से) होने के पश्चात लेखापरीक्षा तिथि (25.02.2017) तक (लगभग साढे पांच माह पश्चात भी) संबंधित क्षेत्र पंचायतों को नहीं भेजी गई थी।

आगे लेखा परीक्षा के दौरान यह भी देखा गया कि वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 की प्रथम किश्त के उपभोग प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय से निदेशक पंचायती राज कार्यालय को तो भेज दिए गए हैं किन्तु संबंधित क्षेत्र पंचायतों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उक्त तथ्यों की और इकाई का ध्यान दिलाये जाने पर इकाई का उत्तर इस प्रकार था-

1. धनराशि क्षेत्र पंचायतों को विलम्ब से भेजने पर इकाई का कहना था कि क्षेत्र पंचायतों से कार्य योजना विलम्ब से प्राप्त होने के कारण।
2. वर्ष 2016-17 की द्धितीय किश्त लेखा परीक्षा तिथि तक नहीं भेजने के संबंध में इकाई का कहना था कि बिल कोषागार को प्रेषित कर दिये गये हैं, कोषागार से प्राप्त होते ही भेज दी जायेगी,
3. कार्य योजनाओं (वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 प्रथम-किश्त) के संबंध में इकाई का कहना था कि कार्यालय शिफ्टिंग के कारण उपलब्ध नहीं हो पा रही है जबकि 2016-17 की द्दितीय किश्त से संबंधित कार्य योजना मुख्य विकास अधिकारी के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई है,

इकाई का उत्तर मान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में ही उस वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों की सूची (कार्य योजना) सक्षम अधिकारी से अनुमादित कराया जाना था ताकि धनराशि प्राप्त होते ही स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जा सकें एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर प्रेषित किए जा सकें।

अतः रु. 195.39 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों को खण्ड विकास अधिकारियों से प्राप्त न करना व संक्रमित धनराशि को संबंधित क्षेत्र पंचायतों को समय से उपलब्ध न कराने से संबंधित प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-2 त्रुटिपूर्ण तुलनात्मक विवरण बनाकर प्रशिक्षण हेतु मीटिंग बैग का क्रय करना तथा रु. 59566/- की देयता का सृजन होना।

इकाई को निर्वाचित ग्राम प्रधान एवं क्षेत्र पंचायत सदस्यो के प्रशिक्षण हेतु रु. 33,6000/- आवंटित थे (8/07/2016) अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि प्रशिक्षण हेतु मीटिंग बैग का क्रय हेतु तीन फर्मों के कोटेशन लिए गये थे।

आगे जाँच में पाया गया कि M/S India Tools, Haldwani तथा M/S Shree chemicals, Haldwani के कोटेशन में तिथि अंकित नहीं थी तथा तीसरा कोटेशन Lahraya corporation, Pauri में दिनांक 04/07/2016 अंकित था। उल्लेखनीय है कि न्यूनतम लागत का निर्धारण दिनांक 30.06.2016 अर्थात M/S Lahraya Corporation, Pauri के कोटेशन की तिथि से पहले ही कर लिया गया तथा M/s India tools, Karkhana Bazar, Haldwani (जिस पर कोटेशन में दिनांक अंकित नही था) का चयन किया गया इस प्रकार उपरोक्त मीटिंग बैग का क्रय कर रु. 33,6000/- चयनित फर्म को भुगतान किया गया (9/07/2016) तथा शेष रु. 59566/- का भुगतान अभी लंबित है।

इकाई को बिना उचित कोटेशन (तिथि सहित) प्राप्त किए ही तुलनात्मक विवरण बनाकर उपलब्ध बजट आवंटन से अधिक रु. 59566/- की धनराशि की देयता का सृजन किये जाने की ओर इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर में बताया गया कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में कार्यरत संबिदा कर्मियों द्वारा उपरोक्त कार्य किया गया है। बिना तिथियो के कोटेशन का तुलनात्मक विवरण बनानं में उनके स्तर पर भूल हुई है। देयता रु. 59,566/- का भुगतान बजट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया जा सका। (02/2017)

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लिए गये कोटेशन की तुलनात्मक विवरण बनाते समय पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए। अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता हैं।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-1(द) इकाई द्वारा राजव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (मरम्मत मद) से संबन्धित रु. 24.00 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का निदेशालय को प्रेषित न किया जाना।

राजीव गाँधी सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत वर्ष 2014-15 हेतु जनपद टिहरी के अंतर्गत निम्नलिखित 12 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों की मरम्मत हेतु निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा अपने पत्रांक संख्या 921/पं.-2/लेखा/रा.गाँ.पं.स.अ./2015-16 दिनांक 01 सितम्बर 2015 एवं पत्रांक संख्या 283/पं.-2/लेखा/रा.गाँ.पं.स.अ./2015-16 दिनांक 11 मई 2016 के माध्यम से इकाई को निम्नानुसार धनराशि का आवंटन किया गयाः-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत का नाम	स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	
			प्रथम किश्त	द्दितीय किश्त
01.	खोला बड़ियार	2.00	1.50	.50
02.	कुटठा	2.00	1.50	.50
03.	माजफ	2.00	1.50	.50
04.	भिगार्क भिन्नू	2.00	1.50	.50
05.	अदवाणी	2.00	1.50	.50
06.	भीगार्की तल्ली	2.00	1.50	.50
07.	मल्ड	2.00	1.50	.50
08.	धरवाल गांव	2.00	1.50	.50
09.	सियाकेम्टी	2.00	1.50	.50
10.	अलमस	2.00	1.50	.50
11.	बैसोली	2.00	1.50	.50
12.	कनेडी	2.00	1.50	.50
	कुल धनराशि	**24.00**	**18.00**	**06.00**

निदेशक पंचायतीराज उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा उपरोक्त लिखित धनराशि का हस्तांतरण निम्न शर्तों के साथा किया गया थाः-

(i) धनराशि का उपयोगित प्रमाण पत्र एंव ऑडिट स्टेटमेंट तथा कम्पोनेंटवार सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि इकाई द्वारा ग्राम पंचायतों को धनराशि आवंटित करते समय भी यह बताया गया था कि उक्त धनराशि का उरभोग करते हुए 01 माह/15 दिनों के अन्दर खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायतीराज अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध लिखित धनराशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट प्राप्त करके निदेशालय को प्रेषित नहीं किए गए हैं।

इसे इंगित किये जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि शीघ्र ही ग्राम पंचायतों से उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं ऑडिट स्टेटमेंट प्राप्त निदेशालय को प्रेषित कर दिये जायेंगे।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निदेशालय के पत्रानुसार इकाई द्वारा उपरोक्त लिखित धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपभोग सुनिश्चित करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जाना था।

अतः इकाई द्वारा राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (मरम्मत मद) से संबन्धित रु. 24.00 लाख के उपभोग प्रमाण पत्रों का निदेशालय को प्रेषित न किये जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-3 ब्याज प्राप्ति की धनराशि रु. 29.45 लाख का राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून के आदेश क्रमांक-347/वि.आ.नि.दे.(तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17 जनवरी 2013 के अनुसार समस्त पंचायतीराज संस्थाओ को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त धनराशि जो कि लम्बे समय तक व्यय न हो पाने के कारण विभिन्न बैंक खातों में जमा रहती है, पर बैंको से प्राप्त होने वाली ब्याज की धनराशि को अतिशीघ्र राजकोष में जमा कर दिया जाना चाहिए।

जिला पंचायत राज अधिकारी टिहरी के माह जून-2014 से जनवरी-2017 तक के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई के विभिन्न बैंकों में तीन खाते हैं जिनसे उक्त अवधि में निम्न विवरणानुसार ब्याज प्राप्त हुआ है।

क्रम सं.	बैंक का नाम	खाता संख्या	6/14 से 1/17 तक प्राप्त ब्याज
01.	भारतीय स्टेट बैंक	10803646800	9,55,831
02.	भारतीय स्टेट बैंक	30356627240	1,69,110
03.	पंजाब नेशनल बैंक	3302000105048541	18,20,203
		कुल	**27,45,144/-**

उक्त धनराशि को राजकोष में जमा कराने के संबंध में लेखा परीक्षा में पूछे जाने पर आंकड़ो की पुष्टि करते हुए इकाई द्वारा बताया गया कि अभी तक उक्त धनराशि को राजकोष में जमा नहीं किया गया है, उच्च-अधिकारियों के दिशा-निर्देश के पश्चात शीघ्र ही जमा कर दिया जायेगा।

अतः रु. 29.45 लाख ब्याज प्राप्ति की धनराशि को राजकोष में जमा न किये जाने संबंधी प्रकरण को संज्ञान में लाया जा रहा हैं।

भाग 4 (ब)-II

प्रस्तर-4 इकाई द्वारा रोकड़ बही का नियमित रख-रखाव न किया जाना।

उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्तुस्तिका (उत्तराखण्ड में लागू) Vol.V, लेखा नियम, भाग I, अध्याय III के नियम 27-A के अनुसार किसी भी लेन-देन के बाद उसी दिन रोकड़ बही में इसकी प्रविष्टि करने तथा संतुलन के पश्चात लेखाबन्दी की जानी चाहिये। माह के अन्त में विभागाध्यक्ष द्वारा रोकड़ बही का मासिक सत्यापन किया जाना चाहिये तथा विभागाध्यक्ष द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी रोकड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिये।

इकाई के लेखा अभिलेखों की जाँच के दौरान यह पाया गया कि इकाई द्वारा माह जून 2015 के बाद से रोकड़ बही नहीं भरी जा रही थी ओर न ही विभागाध्यक्ष द्वारा रोकड़ बही का मासिक सत्यापन किया जा रहा था। इकाई द्वारा वर्ष के अन्त में बैंक समाधान विवरण भी नहीं बनाया जा रहा था।

इसे इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों की पुष्टि करते हुए अपने उत्तर में बताया कि कार्यालय की शिफ्टिंग के चलते पूर्ण अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ नहीं की जा सकीं। शीघ्र ही रोकड़ बही में प्रविष्टियाँ कर लेखापरीक्षा को सूचित कर दिया जायेगा।

इकाई द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई रोकड़ बही का नियमित रुप से न भरा जाना, ओर विभागाध्यक्ष द्वारा इसका मासिक, वार्षिक सत्यापन न किया जाना, वित्तीय नियमों के खिलाफ है तथा इकाई द्वारा बरती जा रही गम्भी अनियमितता को दर्शाता है।

अतः रोकड़ बही को नियमित रुप से न भरे जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता हैं।

<u>भाग-4, अनुभाग (स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति कार्यालय **जिला पंचायतराज अधिकारी, जनपद -टिहरी** को इस आशय से प्रेषित की गयी हैं कि इसकी अनुपालन आख्या सीधे उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी.-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्था0नि0